न्यायालय उपजिलाधिकारी खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

वाद संख्या– T201617650222660

मौलाना आ० कलाम आजाद अन्तर्गत धारा 80(1) उ०प्र० राजस्व संहिता–2006

बनाम साकिन–मूडाडीहा वेग तप्पा उजियार परगना मगहर पूरब

सरकार तहसील खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

निर्णय

मौलाना आ० कलाम आजाद एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबूल ट्रस्ट मूडाडीहा वेग द्वारा सी०एम०डी० अ० रउफ पुत्र मतलब अली साकेन– मूडाडीहा वेग द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम–मूडाडीह वेग तप्पा उजियार के गाटा संख्या 98/1.001हे० के संक्रमणीय भूमिधर है। गाटा संख्या 98मि/0.310हे० भूमि में स्कूल भवन बना हुआ है। उक्त भूमि में कृषि कार्य या कृषि से संबंधित कार्य नही हो रहा है। आराजी निजाई के उक्त रकबे को अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसील से जांच आख्या मंगाई गई। तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक:31.05.2016 के अनुसार ग्राम मूडाडीहा वेग तप्पा उजियार के गाटा संख्या 98/1.001हे० भूगि मौलाना आ० कलाम आजाद एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबूल ट्रस्ट मूडाडीहा वेग द्वारा सी०एम०डी० अ० रउफ पुत्र मतलब अली के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है उक्त भूमि के 0.310हे० में विद्यालय भवन बना हुआ है तथा शिक्षण संस्थान संचालित है। गाटा संख्या 98मि/0.310हे० भूमि का सरकारी/बाजारू रेट के अनुसार कीमत 20,7,700 रूपये हैं। भूमि जोती बोई नही जाती है बल्कि अकृषिक है। आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया है।

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मूडाडीहा वेग तप्पा उजियार के गाटा संख्या 98मि/1.001हे० भूमि मौलाना आ० कलाम आजाद एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबूल ट्रस्ट मूडाडीहा वेग द्वारा सी०एम०डी० अ० रउफ पुत्र मतलब अली के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है जिसके 0.310हे० रक्बे पर विद्यालय भवन बना हुआ है तथा शिक्षण संस्थान संचालित है। जिसका सरकारी/बाजारू रेट के अनुसार कीमत 20,7,700 रूपये है आवेदक द्वारा व्यवसायिक रक्बे का राजस्व संहिता 2006 में दी गई व्यवस्था के कम में कीमत का एक प्रतिशत मु0 20770 रूपया ट्रेजरी चलान संख्या K020023 दिनांक 06.06.2016 द्वारा जमा कर दिया गया है। इस प्रकार राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के तहत आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश:–

अतः ग्राम मूडाडीहा वेग तप्पा उजियार की खतौनी वर्ष 1419–1424 फसली के खाता संख्या 25 के गाटा संख्या 98मि/0.310हे० भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

दिनांक- 13.06.2016

MANAGER
Maulana Abul Kalam Azad E&C Trust
Mooradiha Bege-Sant Kabir Nagar-272125

(गौरव श्रीवास्तव) 13.06.16
उपजिलाधिकारी,खलीलाबाद
संत कबीर नगर

Manager
A.R.C. Institute of Pharmacy
Vill & Po.-Moondadiha BEG
S. K. Nagar (U.P.)

प्रतिलिपि– उपनिबन्धक खलीलाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह धारा 80(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निःशुल्क नियत रीति से रजिस्ट्री करें।

(गौरव श्रीवास्तव) 13.06.16

Scanned with OKEN Scanner